



## ● बीआरकेजीबी आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना

1	उद्देश्य	दस्तकारों / शिल्पकारों को उनकी उत्पादन/विनिर्माण गतिविधि में निवेश पूंजी व कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को उदार तथा आसान तरीके से पूरा करना।
2	पात्रता	सभी शिल्पकार जो उत्पादन/विनिर्माण प्रक्रिय में लगे हुए हैं
3	सीमा का निर्धारण	ऋण सीमा का निर्धारण कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं के साथ ही साथ विनिर्माण प्रक्रिया चलाने के लिए जरूरी औजारों और उपकरणों की लागत के मूल्यांकन पर आधारित
4	ऋण की अवधि	अधिकतम -3- वर्ष जो वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी।
5	मार्जिन:	इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार
6	वैद्यता अवधि	सामान्यतः क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा के अधीन -3- वर्षों के लिए वैद्य होगा
7	प्रतिभूति	इस योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित आस्तियां प्रतिभूति के रूप में बैंक के पक्ष में प्रभारित
8	ब्याज दर	समय समय पर बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
9	सेवा प्रभार	बैंक दिशानिर्देशानुसार